राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 जयपुर, दिनांक :– 29 NOV 2019

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.01.2019 के द्वारा प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों को निर्देशित किया गया था कि भू–उपयोग परिवर्तन, एकल पट्टा जारी किये जाने, पुर्नगठन/उपविभाजन, भूमि के बदले भूमि आवंटन एवं 30 मी./40 मी. से अधिक प्रस्तावित ऊँचाई के भवनों के संबंध में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों की निर्धारित चैक लिस्ट में सूचना भेजी जावे। प्रायः यह देखा गया है प्राधिकरण/न्यास द्वारा चैक लिस्ट में अधूरी सूचना प्रेषित की जाती है एवं प्रकरण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाते। इस कारण सूचना के अभाव में प्रकरण लम्बित रहते हैं व अनावश्यक पत्राचार किया जाता है।

अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. प्रकरण से संबंधित समस्त सूचना निर्धारित चैक लिस्ट में भर कर एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित किये जावें।
2. बी.पी.सी.(बी.पी.)/ बी.पी.सी.(एल.पी.) /ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति/ भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिए गये निर्णय में अंकित शर्तो की अनुपालना किये जाने के पश्चात् ही प्रकरण भिजवाए जाएं।
3. बी.पी.सी.(एल.पी.) ले–आउट प्लान समिति द्वारा स्वीकृत साईट/ले–आउट प्लान में एकीकृत भवन विनियमानुसार निर्धारित मानदण्ड यथा सैटबैक, आच्छादन क्षेत्र, ऊँचाई, बी.ए.आर. आदि अंकित की जावे।
4. यदि सडक/सुविधा हेतु भूमि निशुल्क समर्पित कराई जानी है, एवं/अथवा प्लांटेशन बैल्ट/एच.टी. लाईन सफेटी कॉरीडोर/मार्गाधिकार रखा जाना है अथवा नदी/नाला/वाटर बाडी के साथ प्लान्टेशन बैल्ट रखी जानी है तो नियमानुसार साईट प्लान में स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।
5. प्रकरण में आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जाने वाली आवश्यक भूमि प्राधिकरण/न्यास के पक्ष में Surrender Deed द्वारा समर्पित किये जाने के पश्चात ही प्रकरण प्रेषित किये जावें।
6. प्रश्नगत भूमि का यदि न्यायालय में कोई स्थगन आदेश अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन है तो प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित ना किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय